



2026:AHC:56799

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2554/2026

कुम्हेर सिंह

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

:

अजय दुबे

विपक्षी के अधिवक्ता

:

सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में प्रस्तुत पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रतिवादी के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
3. यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक **कुम्हेर सिंह** की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 209ए/1995 में धारा 307, 336, 504 और 506 आईपीसी के तहत, थाना खेड़ागढ़, जिला आगरा में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. संक्षेप में, एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार, आरोपी-आवेदक और अन्य सह-आरोपियों ने घायल को चोट पहुंचाई है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि यह मामला क्रॉस केस, मुकदमा अपराध संख्या 209/1995 से संबंधित है। इसके अलावा, एफआईआर में या घायल व्यक्ति के बयान में, चोट पहुंचाने के संबंध में आरोपी-आवेदक की कोई विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं की गई है। प्रारंभ में, इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.1999 के आदेश द्वारा मामले पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी फोटोकॉपी इस जमानत आवेदन के साथ संलग्न है। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2010 में स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया था, लेकिन यह तथ्य दोनों पक्षों में से किसी को भी ज्ञात नहीं था और जब समन जारी किया गया, तो आरोपी-आवेदक ने संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसे जेल भेज दिया गया। उन्होंने आगे निवेदन किया कि सह-आरोपी, अर्थात् संजय, जिसकी भूमिका समान है, को पहले ही इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 11.09.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 28607/2025 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है। परस्पर विरोधी मामला एक स्वीकृत तथ्य है और इस मामले में दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी-आवेदक की आयु लगभग 79 वर्ष है और वह 05.12.2025 से जेल में है। इसके अलावा, आरोपी-आवेदक का आपराधिक इतिहास 16 मामलों का है, जिसका विवरण पूरक हलफनामे के पैरा 3 में दिया गया है, लेकिन अधिकांश मामलों में उसे बरी कर दिया गया है या आपराधिक मामला बंद कर दिया गया है, जिसका विवरण आज अदालत में दाखिल किए गए दूसरे पूरक हलफनामे के साथ संलग्न किया गया है। निवेदन यह है कि मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने में पर्याप्त समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. इसके विपरीत, विद्वान ए0जी0ए0 ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि सुनवाई से पहले के चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

7. इस बात पर विचार करने के बाद कि यद्यपि अभियुक्त-आवेदक का नाम अन्य सह-आरोपियों के साथ एफआईआर में है, लेकिन यह स्वीकार किया जाता है कि इस मामले पर माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 1999 में रोक लगा दी गई थी और यह रोक वर्ष 2010 में हटा दी गई थी और अभियुक्त-आवेदक ने वर्ष 2025 में संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। सह-आरोपी, संजय, जिसकी भूमिका भी इसी प्रकार की है, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। परस्पर विरोधी मामला एक स्वीकृत तथ्य है और इस मामले में दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। अभियुक्त-आवेदक लगभग 80 वर्ष का है और 05.12.2025 से जेल में है तथा मुकदमे के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता को देखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 53 पर विचार करते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) मुकदमा 677**, सर्वोच्च न्यायालय के **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713** और **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एससीसी 51** के फैसले पर, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, प्रत्येक जमानती संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का हो। निम्नलिखित शर्तों के साथ कि:-

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों।

(iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या संबंधित न्यायालय द्वारा निर्देशित अनुसार।

(iv) आवेदक को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित तिथियों पर उपस्थित रहना होगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) आरोपी का व्यक्तिगत बयान दर्ज करना ताकि वह अपने विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, तो अवर न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही शुरू करेगी।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह अवर न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

(संतोष राय, न्यायमूर्ति)

19 मार्च 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"